*227. **[The questioner was absent.]**

SC/ST hubs in the country

*227. SHRI SHWAIT MALIK: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government has started SC/ST hubs for their upliftment in the country;

(b) if so, whether this programme has been started in Punjab;

(c) if so, the details of its achievements, till date; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In pursuance of the Budget announcement in February, 2016 Ministry of MSME had formulated and issued a guideline for creation of National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises on 25.07.2016. Hon'ble Prime Minister of India formally launched this Hub on 18.10.2016 at Ludhiana. The Hub provides professional support to SC/ST entrepreneurs to fulfill the obligations under the Central Government Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order 2012, adopt applicable business practices and leverage the Stand up India initiatives. The Scheme is being implemented through National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC). The budget earmarked for the Hub is ₹ 490 crore for the period from 2016-17 to 2019-20. For 2016-17, a budget of ₹ 20.00 crore has been allocated at RE stage. The National SC/ST Hub carries out the following functions:–

(i) Collection, Collation and Dissemination of information regarding SC/ST enterprises and entrepreneurs.

(ii) Capacity building among existing and prospective SC/ST entrepreneurs through skill training and EDPs.

(iii) Vendor Development. involving CPSEs, NSIC, MSME-Dls and industry associations including DICCI.

(iv) Promoting participation of SC/ST entrepreneurs in exhibitions and organizing special exhibitions for this purpose.

(v) Mentoring and hand holding support to SC/ST entrepreneurs.

(vi) Working with States as well as other organisations for SC/ST entrepreneurs so that these enterprises can benefit from all of them.

(vii) Facilitating SC/ST entrepreneurs participating in public procurement, e-platform of DGS&D and monitoring the progress.

(viii) Facilitating credit linkages for SC/ST entrepreneurs.

A Special Marketing Assistance Scheme, Special Subsidy for Single Point Registration Scheme, Special Subsidy for Performance and Credit Rating Scheme are being implemented under SC/ST Hub. Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) has been approved for new as well as existing SC/ST Micro and Small Enterprises (MSEs) for technological upgradation with subsidy of 25% instead of 15% as in the case of existing CLCSS.

(b) and (c) The Hub has started implementing various activities across the country including in Punjab. The number of SC/ST Units benefited under the Special Marketing Assistance Scheme is as follows:

Type of Event	No. of SC/ST MSMEs beneficiaries from Punjab
Domestic Exhibitions	18
International Exhibitions	11
Special Vendor Development Programmes (SVDP)	53

Eight (8) Units owned by SC/STs from Punjab have applied for availing registration under Single Point Registration Scheme of NSIC.

Twenty Seven (27) Units owned by SCs in Punjab have applied for subsidy to obtain Performance and Credit Rating.

(d) Does not arise.

MR. CHAIRMAN: Question No. 227. Questioner absent, let the answer be laid on the Table. Shri Punia.

श्री पी. एल. पुनियाः सभापति जी, मैंने 8 फरवरी, 2017 को राज्य सभा Unstarred Question No. 747 पूछा था और उसमें विस्तार से बताया गया था कि प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के अन्तर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए SC/ST Hub create किया है, ऐसा आदेश जारी किया गया है और यह भी बताया गया था कि 2016 से 2020 के बीच में 490 करोड़ रुपए अनुमानित लागत होगी, लेकिन जो आँकड़े हैं, उनको देखने से पता लगेगा कि

2016-17 में केवल 20 करोड़ रुपए और 2017-18 में 60 करोड़ रुपए, कुल 80 करोड़ रुपए अभी तक आवंटित किए गए हैं, जबकि टोटल अनुमानित लागत बजट 490 करोड़ रुपए का था। अब आगे आने वाले दो-तीन सालों में 410 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस वर्ष भी बजट को बढ़ाने का प्रयास करेगी और क्या वे यह प्रयास करेंगे कि 2020 तक जो 490 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट था, वह पूरा खर्च करके जो उद्देश्य रखे गए थे, उसकी प्राप्ति कर सकेंगे और क्या इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने MSME मंत्रालय से इस विषय के बारे में विचार-विमर्श किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह योजना 2016-17 से लेकर 2019-20 तक के लिए शुरू की गई थी और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पहले वर्ष के लिए इसमें 20 करोड़ रुपया रखा गया था। चूंकि यह नई योजना है, इसलिए इसके पहले चरण को क्रियान्वित करने की शुरूआत हुई है। दिसम्बर, 2016 तक इस पर 4.553 करोड़ रुपये खर्च किए गए और दिसम्बर के बाद से अब तक 3.85 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अगले वर्ष, 2017-18 के लिए इसमें 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं। चूंकि यह योजना अभी initial stage पर है, इस कारण शुरुआत में इसके लिए कुछ कम बजट रखा गया है। धीरे-धीरे मार्केट में जैसे-जैसे इसकी दर बढ़ेगी, तब नेचुरली, जैसा योजना के अनुसार इसमें तय किया गया है, इस पर खर्च किया जाएगा।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल: सर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि SC/ST के उत्थान के लिए, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। गुजरात में भी ऐसा एक केंद्र स्थापित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में उसके लिए कितना प्रावधान है? सर, गुजरात में यह करना बहुत जरुरी भी था, क्योंकि हमारे गुजरात में SC/ST के बहुत सारे लोग है, इसलिए वहां के बजट में इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किया जाए।

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय सभापति महोदय, मुझे यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान सरकार ने, मोदी साहब के नेतृत्व में, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करवा कर, सफलतापूर्वक उद्योग चलाने की दृष्टि से अनेक योजनाएं बनाई हैं, जैसे जन-धन योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप योजना, स्टार्ट-अप योजना, वेंचर कैपिटल फंड और उद्यमिता ऋण गारंटी योजना। इन योजनाओं के माध्यम से उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में entrepreneurs के रूप में आ रहे हैं। उनका कारखाना व्यवस्थित चल सके, संस्थान व्यवस्थित चल सके, इसके लिए उन्हें मदद देने के लिए ही यह हब बनाया है। इस हब को 18 अक्तूबर, 2016 को लुधियाना से प्रारम्भ किया गया था और जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया, यह अभी initial stage पर है। हमने जो योजना बनाई है, उसके अनुसार प्रथम दृष्टया रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन के आंकड़े मेरे पास हैं। अगर आप अनुमति दें, तो वह जानकारी मैं दे दूंगा। मेरा आशय यह है कि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाद में सप्लाई करने के लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था की है। उस रजिस्ट्रेशन के आंकड़े इतने हैं कि 490 करोड़ रुपये का बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसकी पूर्ति हम निर्धारित समयावधि में कर सकेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बता सकता हूं,

SC/ST के अलग-अलग आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन अभी मैं आपको टोटल आंकड़े बता देता हूं। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर, भारत सरकार के मंत्रालयों या उपक्रमों में आगे उनकी खरीदी ठीक से हो सके, इसकी सुविधा देने के लिए 2 करोड़ 82 लाख 9 हजार 689 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह रजिस्ट्रेशन होने के बाद, इनके आवेदन का एक डाटा सिस्टम बनाया है, जिसमें यह सुविधा लेने के लिए वे एप्लाई करेंगे और फिर सुविधाओं की स्वीकृति देंगे। इस तरह आपने जो आशंका व्यक्त की है कि बजट प्रावधान में जो 490 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, उसका उपयोग होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसका उपयोग हो जाएगा।

जहां तक गुजरात का प्रश्न है, मेरे पास गुजरात के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े भी हैं। गुजरात में 2 लाख 41 हजार 529 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करके, हम उनको सुविधा दिलवाएंगे। लगभग सभी राज्यों की जो जानकारी है, उसके अनुसार 2 करोड़ 82 लाख 9 हजार 689 का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the hon. Minister in his reply has stated that SC/ST Hub, which the Government of India has launched, is providing support. In the reply, he has enlisted eight functions that the Government is carrying out. The major problem what the SC/ST entrepreneurs are facing is in identifying the business partners and also in procurement. The Confederation of Indian Industry has an initiative of affirmative action and 927 companies have signed it. Out of 927 companies, only 307 companies have complied with. I would like to know from the Government whether it is taking any measures or initiatives to address the specific concerns relating to caste discrimination faced by Dalit entrepreneurs in carrying out the business, in identifying the business partners and to mitigate the problems faced by them in procurement.

श्री थावर चन्द गहलोतः माननीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि यह नई योजना है, फिर भी हमने इन छः महीनों के अंदर बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि आठ प्रदर्शनियां हुई हैं और उन आठ प्रदर्शनियों में, देश भर में उद्यमिता के क्षेत्र में जो लोग हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया था। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनमें पार्टिसिपेट भी किया। उसमें हम उन्हें मार्केटिंग की कुशलता के बारे में बताते हैं। इन प्रदर्शनियों में उन्हें इस बारे में बताया भी गया है और उसके बाद, जैसा मैंने बताया था, 37 और ऐसे प्रोग्राम अन्य स्थानों पर हुए हैं, जो इसी आशय को ध्यान में रख कर किए गए हैं। इनमें से आठ पंजाब में हुए हैं और बाकी देश के अन्य भागों में हुए हैं। कुल मिलाकर हमने जो कार्य-योजना बनाई है, उस पर हम तेज गति से अमल कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से इस योजना को प्रारम्भ किया गया है, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकेंगे।

महोदय, इस बारे में नियम पहले से बने हुए हैं और प्रावधान भी पहले से ही किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से जो वे उत्पादन करते हैं,

उस उत्पादन का भारत सरकार के मंत्रालय या उपक्रम खरीद करते हैं। उनके उत्पादन का 20 परसेंट में से भी 20 परसेंट, यानी 20 परसेंट तो ऐसी टोटल संस्थाओं से खरीदना और उसमें से चार परसेंट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से ही खरीदना, परन्तु खरीदने की कार्रवाई एक परसेंट भी नहीं हो पा रही थी। इस बात को ध्यान में रखकर ही यह योजना बनाई गई है। इस हब के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदने का जो नियम बनाया गया है, उसके अनुसार भारत सरकार के मंत्रालय और उपक्रम खरीद करेंगे।

Mechanism to check plagiarism

*228. SHRI K. K. RAGESH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Ph.Ds awarded every year in the country by various universities/ institutions;

(b) the details of major disciplines and the respective number of Ph.Ds awarded during the last three years; and

(c) whether any mechanism to check plagiarism is in place with the universities/ institutions which award Ph.Ds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MAHENDRA NATH PANDEY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statament

(a) and (b) The Annual All India Survey on Higher Education (AISHE) captures data on discipline/subject-wise pass-out(s) at Ph.D./M.Phil and Post Graduate levels in various Universities/Institutions based on actual responses received from such Universities/Institutions. As per the AISHE, Discipline-wise and year-wise number of Ph.Ds pass-out(s) from various Indian Universities/Institutions during the last three years is as under:–

Pass-out(s) at Ph.D. level in Select Major Disciplines/Subjects in various Universities/Institutions

Sl. No.	Select Major Discipline	Ph.D Pass-out(s) (in Numbers)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
1.	Agriculture	2,307	1,545	1,956